फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– राज्य **विपक्षी :–** श्री गंगाराम

किस्म मुकदमा – 84 रा.का.अ. **पत्रावली संख्या :** 158/19

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 31.12.2021 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प घासा में पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्षकारान की बहस सुनी। हमने प्रकरण का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा मौजा घासा पटवार हल्का घासा की आ.न. 3144 रकबा 3.16 बीघा किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त रास्ता जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। उक्त भूमि से प्रतिवादी द्वारा 1 हरे कणजे के वृक्ष को काट दिया जिसका वजन लगभग 200 किलोग्राम है जिसे तहसीलदार मावली द्वारा जब्त कर उक्त मामला धारा 84 के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपने जुर्म को स्वीकार किया गया है एवं कानून की जानकारी के अभाव में उक्त वृक्ष काटने का कथन किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज के अवलोकन से उक्त लकडी तहसीलदार मावली द्वारा जब्त कर भू.अ.निरीक्षक भवन के पीछे सुरक्षित रखवा दिया हैं। चूंकि प्रतिवादी द्वारा बिना अनुमति के हरे वृक्ष काटे गये है, एवं अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में " **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 86 – अवैध रीति से हटाये जाने पर शास्तियां के बिन्दु संख्या 1 के तहत** " प्रतिवादी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता उचित है। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर स्वीकार किया जाता है। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप वादी का वाद धारा 84 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा की आ.न. 3144 रकबा 3.16 बीघा किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त रास्ता में प्रतिवादी द्वारा काटे गये 1 हरे कणजे के वृक्ष के लिये प्रतिवादी को 200/– दौ सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं हिदायत दी जाती है कि भविष्य में ऐसी अपराध की पुनरावृति नही दोहराएंगे। तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी से अर्थदण्ड की राशि वसूल की जावे एवं जब्तसुदा लकडी की निलामी की जाकर निलामी राशि मय अर्थदण्ड राशि राजकोष में जमा करा पालना से अवगत करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। **(मयंक मनीष I.A.S)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Mayank Manish Date: 2022.01.21 11:10:24 IST Reason: SelfAttested	

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO)मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री गंगाराम पिता छगनलाल लौहार निवासी घासा तह. मावली।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 84 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 158/19 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा की आ.न. 3144 रकबा 3.16 बीघा किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त रास्ता में प्रतिवादी द्वारा काटे गये 1 हरे कणजे के वृक्ष के लिये प्रतिवादी को 200/– दौ सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं हिदायत दी जाती है कि भविष्य में ऐसी अपराध की पुनरावृति नही दोहराएंगे। तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी से अर्थदण्ड की राशि वसूल की जावे एवं जब्तसुदा लकडी की निलामी की जाकर निलामी राशि मय अर्थदण्ड राशि राजकोष में जमा करा पालना से अवगत करावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 11:10:24 IST
Reason: SelfAttested